दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथिः 23 जनवरी, 2023</u>

रि.या.(सि) 291/2023 और सि. वि. आ. 1161/2023

एन ....याचिकाकर्ता

द्वारा : डॉ. अमित मिश्रा, अधिवक्ता

(मो: 9891592800)

बनाम

प्रधान सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, अति.स्था.अधि. के साथ श्री सिद्धार्थ अग्रवाल प्र-1 के अधिवक्ता (मो:9045513840)

श्री कीर्तिमान सिंह, कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री वजियु अली नूर, सुश्री कुंजला भारद्वाज, श्री माधव बजाज और श्री यश उपाध्याय, प्र-2 के अधिवक्तागण (मो:9599935943)

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

<u>न्या.,प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है जो चौदह वर्ष की एक अविवाहित नाबालिग लड़की की माँ है। याचिका दायर करने के समय, लड़की पंद्रह सप्ताह और चार दिनों की गर्भावस्था के साथ गर्भवती थी। नाबालिग लड़की का नौवीं कक्षा में पढ़ना बताया गया है और उसका परिवार निम्न आय वर्ग से है।

3. यह याचिका न्यायालय से नाबालिग लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिसे एक आकस्मिक सहमति संबंध का परिणाम बताया गया था। इस मामले पर न्यायालय द्वारा 11 जनवरी, 2023 को विचार किया गया था और सुश्री जुबेदा बेगम, विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायालय मित्र रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और नाबालिग लड़की को अपनी मां के साथ उपस्थित रहने, उनसे बातचीत करने का भी निर्देश दिया था। 12 जनवरी, 2023 को न्यायालय और विद्वान् न्यायमित्र ने एक डॉक्टर की उपस्थिति में याचिकाकर्ता और नाबालिग लड़की के साथ बातचीत की। बातचीत करने पर, न्यायालय का विचार था कि गर्भधारण वास्तव में एक सहमति, एकबारगी कार्य का परिणाम था और गर्भावस्था को समाप्त करने से

नाबालिग लड़की का हित सबसे अच्छा होगा। इसलिए, 12 जनवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी को एम्स, नई दिल्ली में गर्भपात की चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> *"14. तदनुसार, इस स्तर पर, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:*
>
> *i. याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी को एक उचित रूप से गठित चिकित्सा दल की देखरेख में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ("एम्स"), नई दिल्ली में गर्भावस्था के चिकित्सा समाप्ति की प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति है। इसका खर्च प्रत्यर्थी संख्या 2 - भारत संघ द्वारा वहन किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के चिकित्सा केंद्र में प्रतिनियुक्त चिकित्सक इस प्रक्रिया में नाबालिग और उसकी माँ की सहायता करेगा;*
> *ii. गर्भावस्था की समाप्ति की प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भ्रूण डी. एन. ए. नमूने या साक्ष्य के उद्देश्यों के लिए, कानून के अनुसार, विधिवत संरक्षित है, जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है;*
> *iii. प्रत्यर्थी संख्या 2 - भारत संघ को एम्स, नई दिल्ली में गर्भपात की व्यवस्था करने और सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जो निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जल्द से जल्द और किसी भी मामले में, 16 जनवरी, 2023 को या उससे पहले होगा;*
> *iv. याचिकाकर्ता और उसके परिवार की पहचान एम्स, चिकित्सा दल, आर.एम.पी. या किसी भी संबंधित*

अधिकारी द्वारा किसी भी अस्पताल के अभिलेख में प्रकट नहीं की जाएगी;

v. पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट में नाबालिग और उसके परिवार की पहचान या किसी अन्य विवरण का भी खुलासा नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा उसकी पहचान की जा सकती है;

vi. पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्ट को बनाए रखा जाएगा और इस न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। उक्त इस न्यायालय के आगे के आदेशों का इंतजार करेगा। उक्त सीलबंद लिफाफा सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले, दाखिल किया जाएगा;

vii. नाबालिग की गर्भावस्था की समाप्ति के बारे में स्थिति रिपोर्ट भी प्रत्यर्थी संख्या 2 - भारत संघ द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक दायर की जानी चाहिए;"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय को सूचित किया कि 12 जनवरी, 2023 के आदेश के अनुसार, 20 जनवरी, 2023 को एम्स, नई दिल्ली में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई थी और नाबालिग लड़की को छुट्टी भी दे दी गई है।

5. एम्स, नई दिल्ली द्वारा 20 जनवरी, 2023 को जारी एक स्थिति रिपोर्ट न्यायालय के अभिलेख पर दायर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 जनवरी, 2023 के पिछले आदेश के शर्तों में, एम्स ने एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया था जिसमें -

- प्रसूति और स्त्री रोग विभाग और रेडियो-निदान विभाग के दो प्रोफेसर।
- बाल रोग विभाग से एक अतिरिक्त प्रोफेसर और प्रसूति और स्त्री रोग विभाग से एक सहायक प्रोफेसर।
- एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा सेंटर।
- अस्पताल प्रशासन विभाग से एक सदस्य।

6. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भ्रूण का नमूना एकत्र कर लिया गया है। भ्रूण के नमूने को एम्स द्वारा संरक्षित किया जाए।

7. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी की गर्भावस्था का समापन हो गया है। हालाँकि, चिंता का एक आवश्यक और तत्काल कारण है जो इस रिट याचिका में गर्भवती व्यक्ति के नाबालिग होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में गर्भावस्था का समापन करने के संबंध में उठाया गया है।

8. जैसा कि न्यायालय को बताया गया है, वर्तमान स्थिति यह है कि पंजीकृत चिकित्सक (आर.एम.पी.) आम तौर पर एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार की पहचान का खुलासा किए बिना और पुलिस रिपोर्ट दर्ज किए बिना गर्भावस्था का समापन करने के खिलाफ़ होते हैं। यह नाबालिग बच्चे के साथ-साथ उसके परिवार के लिए भी बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। इस न्यायालय की राय में, इस मुद्दे को **एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1321,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा

उचित रूप से निपटाया गया है, जहाँ गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 के नियम 3बी पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> *"77. **नियम 3बी (बी) में उन महिलाओं की श्रेणी के नाबालिग शामिल हैं जो चौबीस सप्ताह तक अपनी गर्भावस्था का समापन कर सकती हैं**। उन्हें महिलाओं की विशेष श्रेणियों की सूची में शामिल किया गया है क्योंकि सहमति से यौन गतिविधि में संलग्न किशोरी इस बात से अनजान हो सकती हैं कि यौन संभोग के परिणामस्वरूप अक्सर गर्भावस्था होती है या वे गर्भावस्था के संकेतों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लैंगिक रूप से तटस्थ है और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा यौन गतिविधि को अपराध मानता है। पॉक्सो अधिनियम के तहत, नाबालिगों के बीच संबंधों में तथ्यात्मक सहमति कोई मायने नहीं रखती है। पॉक्सो अधिनियम में निहित प्रतिबंध - वास्तव में -किशोरों को सहमति से यौन गतिविधि में शामिल होने से नहीं रोकता है। **हम इस सच्चाई की उपेक्षा नहीं कर सकते कि इस तरह की गतिविधि जारी रहती है और कभी-कभी गर्भावस्था जैसे परिणामों की ओर ले जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका इस तथ्य के प्रति सचेत थी जब उसने एम.टी.पी. नियमों के नियम 3बी के दायरे में किशोरों को शामिल किया था।***
>
> *78. देश में यौन स्वास्थ्य शिक्षा की अनुपस्थिति का मतलब है कि अधिकांश किशोर इस बात से अनजान हैं कि प्रजनन प्रणाली कैसे काम करती है और साथ ही गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भनिरोधक उपकरणों और विधियों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। विवाह-पूर्व यौन संबंध के*

सम्बन्ध में प्रतिबंध युवा वयस्कों को गर्भ निरोधकों तक पहुँचने का प्रयास करने से रोकती हैं। उन्हीं प्रतिबंधों का मतलब है कि जिन युवा लड़कियों ने इस तथ्य का पता लगाया है कि वे गर्भवती हैं, वे अपने माता-पिता या अभिभावकों को यह बताने में संकोच करती हैं, जो चिकित्सा सहायता और हस्तक्षेप प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

79. इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपेक्षित है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसे पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने की जानकारी है, या ऐसी आशंका है कि ऐसा अपराध किया जा सकता है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(2) निर्धारित करती है कि धारा 19(1) के तहत ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को एक प्रविष्टि संख्या के रूप में अंकित किया जाएगा और लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा और पुलिस इकाई द्वारा रखे जाने वाले ब्लॉक में दर्ज किया जाएगा। धारा 19 द्वारा अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने में विफलता, पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत एक दंडनीय अपराध है। न ही पॉक्सो अधिनियम या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2012 धारा 19(1) के तहत अनिवार्य रिपोर्ट के लिए एक टेम्पलेट या प्रारूप निर्धारित करता है।

80. जब कोई नाबालिग सहमति से यौन गतिविधि से उत्पन्न गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए आर.एम.पी. से संपर्क करता है, एक आर.एम.पी. पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत संबंधित अधिकारियों को

किए गए अपराध से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। एक किशोर और उसके अभिभावक अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता से सावधान हो सकते हैं क्योंकि वे खुद को कानूनी प्रक्रिया में उलझाना नहीं चाहते हैं। नाबालिगों और उनके अभिभावकों के सामने दो विकल्प होने की संभावना है - एक, आर.एम.पी. से संपर्क करें और संभवतः पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही में शामिल हों, या दो, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए एक अयोग्य चिकित्सक से संपर्क करें। यदि पॉक्सो की धारा 19(1) के तहत रिपोर्ट में नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है, तो नाबालिगों को एम.टी.पी. अधिनियम के तहत अपनी गर्भावस्था का सुरक्षित समापन के लिए आर.एम.पी. की तलाश करने की संभावना कम हो सकती है।

81. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम 3 बी(बी) का लाभ 18 वर्ष से कम आयु की उन सभी महिलाओं को दिया जाए जो सहमति से यौन गतिविधि में संलग्न हैं, पॉक्सो अधिनियम और एम. टी. पी. अधिनियम दोनों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए यह आवश्यक है। एम.टी.पी. अधिनियम के संदर्भ में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन प्रदान करने के सीमित उद्देश्यों के लिए, हम स्पष्ट करते हैं कि आर.एम.पी. को, केवल नाबालिग और नाबालिग के अभिभावक के अनुरोध पर, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रदान की गई जानकारी में नाबालिग की पहचान और अन्य व्यक्तिगत विवरणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आर.एम.पी. जिसने पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत जानकारी प्रदान की है (एम.टी.पी. अधिनियम के तहत गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की मांग करने वाले नाबालिग के संदर्भ में) को भी किसी भी

<u>आपराधिक कार्यवाही में नाबालिग की पहचान का खुलासा करने से छूट दी गई है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत आर.एम.पी. की रिपोर्ट से हो सकती है। इस तरह की व्याख्या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए आर.एम.पी. के वैधानिक दायित्व और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग की गोपनीयता और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकारों के बीच किसी भी टकराव को रोकेगी। यह संभवतः विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है कि वह नाबालिगों को सुरक्षित गर्भपात से वंचित करे ।</u>

82. किशोरों में सहमति से होने वाली यौन गतिविधि के विपरीत, नाबालिगों का अक्सर अपरिचितों या परिवार के सदस्यों द्वारा यौन उत्पीडन किया जाता है। ऐसे मामलों में, नाबालिग लड़कियां (अपनी कम उम्र के कारण) इस बात से अनजान हो सकती हैं कि दुरुपयोग करने वाला या बलात्कारी उनके साथ किस तरह के दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे मामलों में, नाबालिग लड़कियों के अभिभावक देर से गर्भावस्था के तथ्य का पता लगा सकते हैं, जिससे नियम 3बी द्वारा दी गई छूट की आवश्यकता होती है।"

9. इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पारित 12 जनवरी, 2023 के आदेश में देखा गया है, नाबालिगों और उनके परिवारों को अपनी पहचान उजागर होने के डर से गर्भधारण के समापन के लिए गैर-पंजीकृत अयोग्य चिकित्सक, हकीम, दाइयों से संपर्क करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

10. तदनुसार, उपरोक्त उद्धरण उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में और गर्भवती नाबालिग लड़कियों को जोखिम से बचने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस आशय का एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि किसी भी नाबालिग के अभिभावक या परिवार का गर्भावस्था के समापन के लिए किसी भी आर.एम.पी. से संपर्क करने के मामले में, यदि अभिभावक या परिवार द्वारा आर.एम.पी. को इस आशय का अनुरोध किया जाता है तो नाबालिग, अभिभावक या परिवार की पहचान, आर.एम.पी. की रिपोर्ट में पुलिस को उजागर नहीं की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में, जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, वह सार्वजनिक रूप से नाबालिग और उसके अभिभावक या परिवार की पहचान को उजागर नहीं करती है।

11. इस समय, सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, विद्वान अति.स्था.अधि. द्वारा सहमति से संबंधों के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, विशेष रूप से जब लिप्त प्रतिपक्ष पुरुष भी एक नाबालिग है। 12 जनवरी, 2023 के आदेश के परिच्छेद 12 और 16 की शर्तों में दायर किए जाने वाले जवाबी शपथ पत्र में उक्त चिंताओं को अभिलेख पर लिया जाए।

12. एम्स द्वारा दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया जाता है।

13. इस आदेश की एक प्रति उपरोक्त परिच्छेद 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन के लिए अधिवक्ता द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, एम्स अस्पताल को भेजी जाए।

14. 10 मार्च, 2023 को सूचीबद्ध।

15. वर्तमान मामले के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में आदेश इस न्यायालय द्वारा पहले अपलोड नहीं किए गए थे। इस मामले में सभी आदेशों को अब अपलोड किया जाए।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायधीश

जनवरी 23,2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*